विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-5542 परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक / व.अधि./08/1047 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के दावों सम्बंधी प्रक्रिया।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त सामुदायिक दावों की संख्या नगण्य है, जो कि चिंताजनक है। अतः कृपया अपने स्तर पर समस्त उपखण्ड स्तर समिति के अध्यक्ष, वन विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के समिति सदस्यों की एक बैठक शीघ्र बुला ली जावे, जिसमें उन्हें निम्नानुसार निर्देश दिये जायें:-

1. राजस्व ग्राम के बाजिबुल अर्ज एवं निस्तार पत्रक से छांटकर समस्त वन भूमियों/छोटे-बड़े झाड़ के जंगल पर परम्परा से कायम कोई भी रूढ़ि या निस्तार के अधिकार की जानकारी संकलित कर ली जाए। इसी प्रकार वन विभाग की निस्तार पुस्तिका से अधिसूचित वन क्षेत्र में जो भी निस्तार के अधिकार परम्परा से चले आ रहे हैं उनकी जानकारी भी ग्रामवार तैयार कर ली जाए। इस संकलित जानकारी की एक प्रति सम्बंधित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करायी जाए और उन्हें सलाह दी जाए कि वे इनसे सम्बंधी सामुदायिक अधिकार के दावे निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत कर दे ताकि उनका सत्यापन होकर मान्य करने की कार्यवाही हो सके।
2. इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सामुदायिक अधिकार हो सकते हैं जो न तो निस्तार पत्रक में है और न ही वन विभाग की निस्तार पुस्तिका में दर्ज है। अतः ग्राम सभा को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि किसी भी वन भूमि में किसी भी प्रकार की पूजा/प्रार्थना से सम्बंधित स्थल तक जाने-आने का अधिकार शवदाह/कब्रिस्तान का अधिकार, बैठक/चौपाल करने का अधिकार, जड़ी-बूटियों/महुआ फूल आदि के प्रसंस्करण करने वाली जगह पर सामुदायिक अधिकार इत्यादि के लिए भी पृथक से सामुदायिक अधिकार का दावा करना होगा। इससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा। इसमें किसी जंगली नदी/नाले के किनारे नहाने, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने आदि जैसे अधिकार भी शामिल समझे जाना चाहिए।

इस बैठक के बाद सामुदायिक अधिकार के दावों की प्राप्ति और उनके सत्यापन/निराकरण की सतत मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि किसी भी आदिवासी/वन निवासी समुदाय का कोई भी वन भूमि सम्बंधी सामुदायिक अधिकार अज्ञानतावश रिकार्ड होने/मान्यता प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।

ओ.पी.रावत

(ओ.पी.रावत)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

क / व.अधि./08/1047 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रति :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल
9. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग भोपाल।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग भोपाल।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
13. आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
14. समस्त डी.एफ.ओ. मध्यप्रदेश।
15. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश।
16. संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
17. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग..... मध्यप्रदेश।

ओ.पी.रावत

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक एफ 25-36/2005/10-3 भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश

विषय :— भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 एवं धारा-4 (1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किये जाने बाबत्।

संदर्भ :— इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015

--0--

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ उक्त पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमियों में व्यक्ति एवं समुदाय के विद्यमान अधिकारों को अभिलिखित किये जाने के संबंध में है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन एवं धारा-4 (1) अन्तर्गत अधिसूचित प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों को, सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा जाँच कर समग्रतः अभिलिखित नहीं किये गये हैं।

3/ अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि उक्तानुसार पूर्व में अधिसूचित संरक्षित वन एवं प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों के स्वरूपों की जानकारी, सक्षम राजस्व विभाग के अधिकारियों से, अभिलिखित करवाकर, संबंधित वन मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही दो माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अजीत
(ए.पी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/एफ 25-36/2005/10-3 भोपाल दिनांक 10 अप्रैल 2015

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी म.प्र., मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना एवं वन मण्डलाधिकारी, पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अजीत
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल

पृष्ठ क्रमांक मा/चि/1112 दिनांक 18-2-16

प्रतिलिपि :- ① कलेक्टर (भू अभिलेख) बैतूल एवं,
② समस्त व०म०अ० (सा०) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। विषयान्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक
बैतूल वृत्त बैतूल (म.प्र.)